तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य** **उपस्थित :** 1– श्री योगेन्द्रसिंह, अभिभाषक प्रार्थीगण । 2– अप्रार्थी सं0 1 व 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। 3– श्री अजीत लोढ़ा, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 3 ल0 6 **आदेश** **दिनांकः–30–5–2019** हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–230 सपठित धारा 221 न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्धारा अपील सं0 84/2003 बउनवान श्रीमती सोहनबाई बनाम श्रीमती वक्ती बाई व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20–10–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता ने विद्धान उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर के समक्ष एक वाद पेश किया था, जिसमे साथ 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अस्थाई व्यादेश की दरख्वास्त पेश की थी। प्रार्थी अधिवक्ता को एकपक्षीय सुनकर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया जिस पर हाल अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके उक्त जारी एकतरफा आदेश को निरस्त करने का पेश किया। परीक्षण न्यायालय द्धारा दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी, मावली के निर्णय दिनांक 23–6–2003 को अपने आदेश दिनांक 20–10–2003 से खारिज कर दिया जिस आदेश दिनांक 20–10–2003 से राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई है।	

	3– बहस उभयपक्ष की सुनी गयी। 4– विद्धान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 23–6–2003 को पारित किया गया था जिस आदेश से अगली तारीख पेशी अर्थात दिनांक 24–7–2003 तक ही पारित किया गया था। विद्धान विचारण न्यायालय ने दिनांक 23–6–2003 के आदेश के साथ ही उनके एकपक्षीय आदेश से नाराजगी पर किसी प्रकार का ऐतराज पर उनके समक्ष उपस्थित के निर्देश दिये थे जिसमें अप्रार्थी सं0 1 व 2 दिनांक 30–6–2003 को उपस्थित हो चुके थे किन्तु विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 23–6–2003 को निरस्त करवाने की कार्यवाही नहीं कर उनके यहां अगली तारीख पेशी बहस हेतु ले ली गयी एवं दिनांक 23–6–2003 के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी गई जिसमें अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 23–6–2003 की क्रियान्विति अगली तारीख पेशी दिनांक 11–8–2003 तक स्थगित कर दी गई जबकि विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 23–6–2003 केवल दिनांक 24–7–2003 तक ही था। परीक्षण न्यायालय को किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी करने का अधिकार नहीं था। इसलिए अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्धारा प्रस्तुत अपील दिनांक 24–7–2003 के बाद स्वतः ही इन्फेक्च्यूअस हो चुकी थी फिर भी परीक्षण न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया। परीक्षण न्यायालय को अप्रार्थीगण की अपील पूर्णतया स्वीकार करते हुए गुणावगुण पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णित करने का अधिकार नहीं है। बहस में आगे कहा कि प्रार्थीगण स्वयं विवादित भूमि में अपने आपको 1/3 हिस्से के खातेदार कहकर आये है किन्तु प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह दर्शाया कि काश्त की सुविधा के लिए भूमि का विभाजन कर रखा है एवं जिन खसरा नम्बरान 1324, 1332 एवं 1333 पर ही यह काश्त कर रहे हैं जबकि परीक्षण न्यायालय इन तीनों	

नम्बरान पर प्रथम दृष्ट्या कब्जा नहीं भी मान रहे थे तो प्रार्थीगण के हिस्से तक सम्पूर्ण आराजी में उसके हिस्से को सुरक्षित रखने के लिए उचित आदेश पारित करना चाहिए था। परीक्षण न्यायालय ने गुणावगुण पर जिस प्रकार अपना निर्णय दिया है, वह उचित नहीं है जो काबिल खारिजी के है। अतः निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

5– विद्धान अधिवक्ता गैर निगरानीकार ने उक्त तर्को का विरोध करते हुये कहा कि परीक्षण न्यायालय द्धारा दोनों पक्षों को सुनकर उचित व कानून सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं है। इसलिए निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावें।

6– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेशों का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया । विद्धान उपखण्ड अधिकारी, मावली द्धारा अपने आदेश दिनांक 23–6–2003 में फर्द अहकाम में अंकित किया है कि **''मौजा डबोक की आराजी रकबा 1324, 1332 एवं 1333 के लिए अग्रिम तारीख पेशी इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विपक्षीगण स्वयं या उनके नौकर चाकर, एजेन्ट से बाधा नहीं पहुंचाये तथा काश्त में किसी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं करें।''** साथ ही पत्रावली में अलग से आदेश संलग्न है जिसमें अकित है कि एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार जारी की जाती है कि **''विपक्षीगण स्वयं या उनके नौकर चाकर, एजेन्ट कोई भी गांव डबोक में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1324, 1332 एवं 1333 में प्रार्थीगण को व उनके सिजारी को फसल बोने में किसी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं करें व उनको शांतिपूर्वक फसल बोने देवें। थाना डबोक को भी एक तहरीर जारी की जावें कि वे प्रार्थीयान को उक्त जमीन में फसल बोने में सहायता प्रदान करावें।''**

	7– विद्धान निगरानीकार ने निगरानी की बहस में तर्क दिया कि प्रकरण में कांट–छांट करना एक तकनीकी भूल है। शपथपत्र रेकार्ड पर है। 2003 आर.आर.डी. पेज 266 का दृष्टान्त देते हुए कहा कि उपखण्ड अधिकारी का आदेश अन्तरिम आदेश है। अतः वादपत्र/दावा भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्धारा खारिज के बजाय रिमाण्ड किया जा सकता था। अतः भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर का आदेश दिनांक 20–10–2003 निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जावें। 8– विद्धान गैर निगरानीकार का तर्क था कि दिनांकों में कांट–छांट करना तकनीकी भूल नहीं होकर सब्सेन्टिव भूल है और यदि केवल तकनीकी त्रुटि थी तो ऑथ कमिश्नर का रजिस्टर पेश करना चाहिए था जो कि प्रस्तुत नहीं किया गया। उपखण्ड अधिकारी द्धारा पुलिस सहायता का आदेश दिया जाना उचित नहीं था क्योंकि एक सह खातेदार दूसरे सह खातेदार को काश्त करने से नहीं रोक सकता है। जहां तक प्रकरण रिमाण्ड करने का प्रश्न है टी0आई0 के प्रकरण को रिमाण्ड नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपीलीय न्यायालय का निर्णय उचित एवं न्यायसंगत है। अतः निगरानी खारिज की जावें। 9– हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली द्धारा एक ही दिनांक 23–6–2003 में एवं अहकाम पर तथा अलग से आदेश जारी किया गया है। अलग से किये गये आदेश का फर्द अहकाम में कही भी अंकन नहीं है। भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर ने अपने आदेश दिनांक 20–10–2003 में अंकित किया है कि दिनांक 23–6–2003 को अधीनस्थ न्यायालय द्धारा पारित निर्णय विधि द्धारा स्थापित नियमों के विरूद्ध जाकर पारित किया गया है। विद्धान अभिभाषक गैर निगरानीकार का कथन उचित है कि एक सह खातेदार दूसरे सह खातेदार को काश्त करने से नहीं रोक सकता है। इसके	

साथ ही दूसरा बिन्दु कि कांट–छांट करना तकनीकी भूल का कोई उचित कारण अंकित नहीं है। इसलिए विद्धान उपखण्ड अधिकारी, मावली द्धारा पारित आदेश दिनांक 23–6–2003 उचित नहीं है एवं विद्धान भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्धारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने से निगरानी खारिज योग्य है।

10– निष्कर्षतः हस्तगत निगरानी खारिज की जाती है। विद्धान भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्धारा पारित आदेश दिनांक 20–10–2003 यथावत रखा जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य